Eastern Railway

No. E 678/0/Vol. VIII

Kolkata, dated: 15/ 07/2011

All Concerned

Sub: Amendment to rule 18 of Railway Services (Conduct) Rules, 1966.

A copy of Railway Board's letter No. E(D&A) 2011 GS 1-3 dated 11.07.2011 **(RBE No. 105/2011)** along with its enclosures **(Advance Correction Slips No. 118)** is hereby forwarded for information, guidance and necessary action.

DA: Correction Slip &
Hindi Version

15-7-11
(G. Bandopadhyay)
Asstt. Personnel Officer/Engg.
for Chief Personnel Officer

Copy of Board's letter No. E(D&A) 2011 GS 1-3 dated 11.07.2011 **(RBE No. 105/2011)** addressed to the GM(P)/ All Zonal Railways & PUs. etc.

Sub: Amendment to rule 18 of Railway Services (Conduct) Rules, 1966.

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby directs that rule 18 of the Railway Services (Conduct) Rules, 1966, contained in Appendix-I of the Railway Establishment Code, Volume I Fifth Edition, 1985 (*Third Reprint Edition, 2008*) may be amended as in the Advance Correction Slip No. 118 enclosed.

Please acknowledge receipt.

DA: ACS No. 118.

Sd/-(Harish Chander)
Dy. Director Estt. (D&A)
Railway Board

Index No. 1025: Amendment to rule 18 of Railway Services (Conduct) Rules, 1966, contained in Appendix-I of the Railway Establishment Code, Volume I Fifth Edition, 1985 (Third Reprint Edition, 2008) .

Contd..2/-

Contd. from pre-page

INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT CODE-VOL.I (FIFTH EDITION 1985, THIRD REPRINT EDITION, 2008)

Appendix-I – Railway Services (Conduct) Rules, 1966

Advance Correction Slip No. 118

In the Railway Services (Conduct) Rules, 1966, in rule 18:-

1. For sub-rule (3), the following shall be substituted, namely:-

"(3) Where a railway servant enters into a transaction in respect of movable property either in his name or in the name of a member of his family, he shall, within one month from the date of such transaction, report the same to the Government, if the value of such property exceeds two months' basic pay of the Railway servant:

Provided that the previous sanction of the Government shall be obtained by the Railway servant if any such transaction is with a person having official dealings with him."

2. Below sub-rule (5), for clause (a) of Explanation I, the following shall be substituted, namely:-

"(a) jewellery, insurance policies the annual premium of which exceeds two months' basic pay of the railway servant, shares, securities and debentures;"

(Authority – Railway Board's letter No.E(D&A) 2011 GSI-3 dated 11.07.2011)

****

आर.बी.ई. सं. 05/2011

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं.ई (डी एंड ए) 2011 जीएस 1-3 नई दिल्ली, दिनांकः 11.7.2011

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें और
उत्पादन इकाइयां, आदि
(मानक सूची के अनुसार)

विषयः रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 के नियम 18 मे संशोधन ।

भारत के राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देते है कि भारतीय रेल स्थापना संहिता—जिल्द I, पांचवा संस्करण, 1985 (तृतीय पुनर्मुद्रण 2008) के परिशिष्ट – I में अनुबद्ध रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 के नियम 18 को संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.118 के अनुसार संशोधित किया जाए ।

कृपया पावती दें ।

(हरीश चन्द्र)
उप निदेशक, स्थापना (अनु.एवं अ.)
रेलवे बोर्ड

संलग्नः अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.118

सं.ई (डी एंड ए) 2011 जीएस 1-3 नई दिल्ली, दिनांकः 11.7.2011

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. महासचिव, एआईआरएफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।
2. महासचिव, एनएफआईआर,3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।
3. विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य एवं सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियां) ।

(....2/-)

भारतीय रेल स्थापना संहिता - जिल्द I, (पांचवा संस्करण, 1985 तृतीय पुनर्मुद्रित संस्करण, 2008)

परिशिष्ट - I - रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 118

रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 में, नियम 18 में:-

1. उपनियम (3) के लिये, निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, अर्थात:-

"(3) जहां कोई रेल सेवक किस चल सम्पत्ति के संबंध में अपने नाम से या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से कोई संव्यवहार करता है वहां वह संव्यवहार की तारीख से एक मास के भीतर उसकी रिपोर्ट सरकार को देगा, यदि ऐसी सम्पत्ति का मूल्य रेल सेवक के दो मास के मूल वेतन से अधिक है:-

बशर्ते है कि रेल सेवक द्वारा सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जायेगी यदि ऐसा लेन-देन उस व्यक्ति के साथ है जिसके साथ उसका शासकीय व्यवहार है ।"

2. उपनियम (5) के नीचे, स्पष्टीकरण I के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, अर्थात:-

"(क) आभूषण, ऐसी बीमा पॉलिसियां जिनका वार्षिक प्रीमियम रेल सेवक के दो मास के मूल वेतन से अधिक हो, शेयर, प्रतिभूतियां और डिबेन्चर;"

(प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का दिनांक 11.7.2011 का पत्र, सं. ई (डी एंड ए) 2011 जी. एस. 1-3)